शिकायत कमाँक सी–41/रासूआ/38/भोपाल/06

डा0एस0एम0एच0जैदी,
व्ही–2, वंसुधरा ,
एस0बी0आई0कालोनी,
जहांगीराबाद, भोपाल शिकायतकर्ता

विरूद्ध

संयुक्त कलेक्टर, लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर,
भोपाल

आदेश

(दिनांक 3 जून, 2006)

डा0एच0एम0एच0जैदी ने यह शिकायत प्रस्तुत की है वे दिनांक 17 जनवरी, 2006 को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र लेकर कलेक्टर कार्यालय में पूछंताछ काउन्टर पर गये थे । वहां से उन्हें कक्ष कमांक 108 में सम्पर्क करने के लिये भेजा गया था । संभवतः यह सहायक लोक सूचना अधिकारी का कक्ष था । उसके बाद उन्हें कक्ष कमांक 112 एवं 119 में सम्पर्क करने के लिये भेजा गया था कक्ष कमांक 119 में श्री अरविन्द दुबे, संयुक्त कलेक्टर से सम्पर्क करने पर उन्होने उनका आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुये तहसीलदार से सम्पर्क करने को कहा । डा0 जैदी की शिकायत यह है कि उनका आवेदन पत्र स्वीकार नही किया गया ।

2. शिकायतकर्ता डा0 जैदी ने अपनी शिकायत के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत जो आवेदन उन्होने दिया था उसकी प्रति अपनी शिकायत के साथ संलग्न की है । इस आवेदन पत्र में उन्होने निम्नलिखित जानकारी मांगी है –

''यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कृषि भूंमि / फार्म हाउस कय करता है तो भूमि के पंजीयन उपरांत राजस्व अभिलेखों में कय की गई भूमि केता के नाम पर दर्शाने हेतु क्या प्रकिया है । इससे संबंधित फार्म / प्रपत्र /प्रारूप/ शुल्क तथा आवेदन उपरांत लगने वाली न्यूनतम/अधिकतम समयावधि का विवरण उपलब्ध करावें । ''

3. शिकायत के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर, भोपाल से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । उन्होने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता के आवेदन का अवलोकन उनके व्दारा किया गया था एवं आवेदक से चर्चा भी की गई । डा0 जैदी के व्दारा

आवेदन में नामांकन के विषय में जानकारी चाही थी । उन्हें यह अवगत कराया गया था कि यह विषय मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत आता है और उसके संबंध में नियम भी बनाये गये हैं जो वे संहिता में देख सकते हैं । यदि उन्हें किसी विशिष्ट भूमि की जानकारी चाहिये तो वे अपने क्षेत्र के तहसीलइदार से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें श्री चौधरी तहसीलदार सम्पर्क करने का परामर्श दिया गया था । उनको यह भी बताया गया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें कार्यालय के किसी दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करायी जा सकती है अथवा अभिलेख का अवलोकन कराया जा सकता है । डा0 जैदी ने अपने आवेदन में ऐसी कोई जानकारी अंकित नही की है जो उनके कार्यालय के अभिलेख या जानकारी से संबंधित है इसलिये उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी प्रदान नही की जा सकती है । उन्हें इस संबंध में मार्गदर्शन दिया गया था ।

4. प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के व्दारा जो जानकारी मांगी गई है वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एच) के अन्तर्गत सूचना की जो परिभाषा दी गई है उसमें नही आती है । उन्होने भूमि क्रय करने के बाद राजस्व अभिलेखों में नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी चाही है । उन्होने किसी अभिलेख की नक्ल नही मांगी थी और न ही किसी अभिलेख का अवलोकन करने के लिये आवेदन ही दिया था । इस स्थिति को देखते हुये डा0 जैदी मौखिक सुनवाई के लिये बुलाया गया था और वे दिनांक 2 जून, 2006 को उपस्थित हुये । उनकी शिकायत मुख्यतः यह है कि उन्हें एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने के लिये कहा गया और उनका आवेदन पत्र नही लिया गया । उनकी शिकायत यह भी है कि उन्हें तहसीलदार से सम्पर्क करने के लिये कहा गया ।

5. सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल उन्ही आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है जिसमें किसी प्रकार की सूचना जो कार्यालय में उपलब्ध है उसको प्रदान करने से संबंधित हो । किसी भी विधि या नियम के संबंध में जानकारी देने के लिये संबंधित अधिकारी मार्गदर्शन दे सकते हैं लेकिन इस प्रकार की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नही आती है इसीलिये श्री अरविन्द दुबे संयुक्त कलेक्टर ने शिकायतकर्ता को यह मार्गदर्शन दिया था कि यह आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है । शिकायतकर्ता की शिकायत को देखते हुये यह स्पष्ट है कि शिकायत का सूचना का अधिकार अधिनियम से कोई संबंध नही है । अतः यह शिकायत निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त